संख्या-429/2016/1232जेपीआर/22-3-16-200(2)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 नवम्बर, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी सूर्य प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-325/2016/803जेपीआर/22-3-16-200(2)/2016, दिनांक 31-08-2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न द्वितीय टोली में 83 बंदियों को 15 दिन के गृह अवकाश की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के साथ संलग्न द्वितीय टोली की सूची में सम्मिलित बंदी सूर्य प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ, बंदी संख्या-15602 को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-429/2016/1232जेपीआर(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in